निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

ब्लॉक नम्बर–38, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009.

संख्याः 5–21/2001–ई.एल.एन. दिनांकः 7 अप्रैल, 2008

<u>कार्यालय आदेश</u>

जन शिकायत निवारण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या ज0शि0नि0एफ(1)-2/2008-लूज दिनांक 20.3.2008 की अनुपालना मे निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश, मुख्यालय, शिमला में ''**राज्य स्तरीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ**'' की स्थापना निम्न प्रकार से की जाती है :–

1	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवम् अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–9।	प्रभारी अधिकारी	0177–2621551 9418341583
2	निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9।	सदस्य	0177–2622721 9418043485
3	स्थापना सहायक, निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला–9।	सदस्य	0177–2622721

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः–

1. शिकायत प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को पावती सूचना भेजना ।
2. शिकायत का निवारण दो महीनों के अन्दर करना ।
3. शिकायत निवारण की प्रगति से शिकायतकर्ता को अवगत करवाना।
4. यदि शिकायत के निराकरण को दो महीने से ज्यादा समय लगना है तो शिकायतकर्ता को अन्तरिम उत्तर देना।
5. यदि शिकायतकर्ता की शिकायत पर कोई कार्यवाई सम्भव नही है, तो तर्कसंगत उत्तर दिया जाना।
6. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एक रजिस्टर तैयार करेगा जिसमें शिकायत की प्राप्ति व कृत कार्यवाई का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जायेगा ।
7. राज्य स्तरीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जिला स्तर तक शिकायत निवारण सम्बन्धी जानकारी रखेगा व जन शिकायत निवारण विभाग को निर्धारित प्रपत्र पर मासिक सूचना भेजेगा।
8. शिकायत निवारण के शीघ्र निपटारे हेतु सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों/जिलों से समन्वय बनाए रखेगा ।
9. राज्य स्तरीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, शिकायत निवारण की प्रगति सम्बन्धी मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवम् सचिव (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार को समय–समय पर अवगत करवाता रहेगा ।

आदेश से,

मनोज कुमार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवम् सचिव (निर्वाचन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।